Received: Jul '25
Revised:
Accepted: Aug '25

© 2025 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

"प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरूकता का अध्ययन"

शोध निर्देषक :
डॉ. रेखा सोनी
(प्रोफेसर)
शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय

शोधकर्ता :
ओम प्रकाश ढाका
शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय

ABSTRACT

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा का प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरूकता का अध्ययन किया गया है। दत्त संकलन हेतु स्वंय निर्मित बालश्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति व जागरूकता का मापनी का प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापकों में शहरी क्षेत्र की महिला अध्यापकों की अपेक्षा बाल श्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति का स्तर उच्च है।

Keywords:- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय व बाल श्रम कानून।

प्रस्तावना :–

''बाल श्रम और गरीबी अनिवार्य रूप से एक साथ बंधे हुए हैं और यदि आप गरीबी के सामाजिक रोग के इलाज के रूप में बच्चों के श्रम का उपयोग करना जारी रखते हैं, तो आपके पास गरीबी और बाल श्रम दोनों ही समय के अंत में होंगे।'' – ग्रेस एबॉट

''हाथ में उसको कलम का आना अच्छा लगता है,
उसको भी स्कूल जाना अच्छा लगता है।
बड़ा कर दिया गर्दिश ने वक्त से पहले
वरना, सर पे बोझ उठाना किसको अच्छा लगता है।''

बच्चे राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं। राष्ट्र के भविष्य का आधार होते हैं। आज के बच्चों में हम आने वाले कल को देख सकते हैं। यही बच्चे राष्ट्र के साथ–साथ किसी भी परिवार के लिये धरोहर होते हैं। तभी सरकार उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के लिये विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें निर्धारित कर उनका समुचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। परन्तु जिस राष्ट्र के बच्चों का ही वर्तमान, अंधकार में डूबा हो और उनका स्वयं का भविष्य उजाले की तलाश में भटक रहा हो, तो उस देश के अच्छे भविष्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आज विश्व के गरीब और विकासशील देशों में बच्चों के नन्हें हाथों का प्रयोग धनोपार्जन के लिए किया जाता है। एशिया, अफ्रीका में यह प्रवृत्ति अधिक चिंताजनक है खासतौर से दक्षिण पूर्व एशिया में जिसका केन्द्र भारत है।

शोध अध्ययन का महत्व :–

आज जहाँ सम्पूर्ण विष्व ज्ञान विज्ञान, षिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर आगे बढ़ रहा है, वहीं ये नौनिहाल अपना बचपन होटलों, कारखानों में कार्य करते हुए निकाल देते हैं। आज विज्ञान व तकनीकी के इस युग में यह आवष्यक है कि राष्ट्र अपने नागरिकों को तकनीकी कौषलों में दक्ष बनायें। यह कार्य षिक्षा द्वारा सम्भव है। किन्तु बाल रम की उच्च दर के कारण बालक षिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण वे प्रषिक्षित व्यवसायिक कार्यो को करते हुए जीवनयापन को मजबूर हैं। आज ये नौनिहाल अपने राष्ट्र के विकास में भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए आवष्यक है कि अध्यापक बच्चों के माता–पिता को समझायें कि बाल श्रम गैरकानूनी कार्य है। बाल श्रम को रोकने के लिए बहुत सारे कानून प्रावधान है जिसमें बाल श्रम करवाने वाले अभिभावकों को कारावास की सजा भी हो सकती है। अतः बाल श्रम को रोकने के लिए अभिभावकों को षिक्षा की महत्ता को समझना आवष्यक है जिससे वे प्रेरित होकर बच्चों को स्कूल भेजने लगें। अतः बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम कानून के प्रति अध्यापकों में जानकारी, जागरूकता अति आवष्यक है।

समस्या कथन :–

"प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति एवं जागरूकता का अध्ययन''

शोध अध्ययन के उद्देष्य :–

1. बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति का ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करना।
2. बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के महिला अध्यापकों की जागरूकता का ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :–

1. बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. बाल श्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों की जागरूकता में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसंधान प्रविधि :–

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

सीमांकन :–

प्रस्तुत शोधकार्य को राजस्थान राज्य के सीकर जिले तक सीमित किया गया है।

शोध अध्ययन का न्यादर्ष :–

न्यादर्ष के रूप में शोधकर्त्ता द्वारा सीकर जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 600 अध्यापकों का चयन किया गया है।

शोध उपकरण :–

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्ता द्वारा स्वंय निर्मित मापनी का प्रयोग किया जायेगा। जो अध्यापकों की बालश्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति व जागरूकता का मापन किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सांख्यिकी :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्यमान मानक विचलन, टी–परीक्षण तथा एफ–परीक्षण आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

निष्कर्ष :–

परिकल्पना संख्या–1 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि बालश्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर सार्थक अन्तर पाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापकों में शहरी क्षेत्र की महिला अध्यापकों की अपेक्षा बाल श्रम कानून के प्रति अभिवृत्ति का स्तर उच्च है।

परिकल्पना संख्या–2 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के महिला अध्यापकों की बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है। पूर्व निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात होता है कि बालश्रम कानून के प्रति प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों की जागरूकता में ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर सार्थक अन्तर पाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापकों में शहरी क्षेत्र की महिला अध्यापकों की अपेक्षा बाल श्रम कानून के प्रति जागरूकता का स्तर उच्च है।

भावी शोध के हेतु सुझाव :–

1. प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक स्तर के विधालयों के अध्यापकों का चयन किया गया आगामी शोध में माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च स्तरीय संस्थानों के अध्यापकों पर शोध कार्य किया जा सकता है।
2. वर्तमान शोध में अध्यापकों के बालश्रम अधिनियम प्रति जागरूकता एवं अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया। भविष्य में प्रयुक्त चरों के आधार पर प्रयोगात्मक शोध के आधार पर कार्य किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. द्विवेदी, एन.एन. (1998) – बाल श्रमिक एवं गैर बाल श्रमिक विद्यार्थियों की समस्याओं का अध्ययन, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेषन, अगस्त वॉल्यूम–15, पृ.सं. 45–47
2. त्रिपाठी, पी. (1998) – अपने माता–पिता के व्यवहार के प्रति बाल श्रमिकों की प्रतिक्रिया का अध्ययन, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेषन, अगस्त वॉल्यूम–15, पृ.सं. 37–37
3. सिंह, एस. के. (1998) – उत्तर प्रदेष में बाल मजदूरों की स्थिति एवं षिक्षा, ट्रेन्डस एण्ड थाट्स इन एजूकेषन, अगस्त वॉल्यूम–15, पृ.सं. 38–46
4. भट्ट, के.एन. (2000) – एलिमेन्ट्री चाइल्ड लेबर थ्रो प्राइमरी एजूकेषन : दि इण्डियन सिनेरियो, मेनस्ट्रीम, 49
5. श्रीवास्तव, डी.एन. (2001) – अनुसंधान विधियाँ आगरा : साहित्य प्रकाषन।